

an>

Title: Need to ban slaughter of cows and other animals which are abandoned by farmers in Banda and Chitrakoot in Uttar Pradesh.

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : अध्यक्ष महोदया, जानवरों को खुला छोड़ने की जो अन्ना प्रथा है, उसके कारण मेरे संसदीय क्षेत्र और पूरे बुन्देलखंड में किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। जानवरों के झुंड किसानों के खेतों में जगह-जगह देखे जा सकते हैं। इससे वन सम्पदा नष्ट हो रही है और नये पौधे भी जंगलों में तैयार नहीं हो पा रहे हैं। इससे जलवायु संतुलन बिगड़ गया है। जानवरों के खुला घूमने के कारण गौकसी और गौवंश की तस्करी की घटनाएं भी बढ़ गयी हैं। पशुधन नष्ट होने के कई कारण हैं। पहले एक पशु क्लूटा अधिनियम आया था, जिसके कारण जगह-जगह जो काजी हाउस बनते थे, उन्हें बंद कर दिया गया है। दूसरा कारण यह है कि गांव में चारागाह के लिए जो जमीन छूटी रहती थी, उनमें कब्जा हो गया है। अब गांव में कोई भी चारागाह नहीं बचा है। तीसरा कारण यह है कि पशु को किसान उपयोगी नहीं मान रहा, क्योंकि उनके दूध की क्षमता घट गयी है।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए कहना चाहूंगा कि इस अन्ना प्रथा को रोकने के लिए यथाशीघ्र योजना बनायी जाये और उस पर गंभीर चर्चा करके उसे लागू कराने का काम किया जाये। हर ग्रामीण इलाकों, पंचायत स्तर पर करबों, शहरों आदि प्रमुख जगहों पर गौशालाएं एवं गौ आश्रय घर बनाने की कृपा करें। इसके साथ-साथ गौकसी को रोकवाने के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था की जाये।

-